संख्या-23/2018/702/सैंतीस-2-2018-1(10)/2014टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 मार्च, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में कामधेनु योजना में प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-76/प0-2/36(29)/कामधेनु/प्रो.अनु./2015-16, दिनांक-15.02.2018 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-81/2017/1367/सैंतीस-2-2017-1(10)/2014टीसी, दिनांक-04.09.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-22-कामधेनु योजना में प्रोत्साहन' के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी स्तर पर पी.एल.ए./बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-03.08.2017 व 22.11.2017 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मद जिसके लिए वस्तुतः अवमुक्त की जा रही है, उसी में किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा। इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-22-कामधेनु योजना में प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-2-यू.ओ.-283/दस-2018, दिनांक-14.03.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-23/2018/702(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।